# मध्यप्रदेश शासन
# सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक सी-6-5-97-3-एक

भोपाल, दिनांक 22-2-2002

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश.

**विषय.—** संभागों में कार्यरत समस्त विभागों के प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी शासकीय सेवकों पर लघु शास्ति अधिरोपित करने का अधिकार आयुक्तों को दिया जाना.

**सन्दर्भः—** सामान्य प्रशासन विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 13 अगस्त, 1997.

सामान्य प्रशासन विभाग की संदर्भित अधिसूचना दिनांक 13 अगस्त, 1997 को अतिष्ठित करते हुए, संभाग में कार्यरत प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी शासकीय सेवकों पर लघुशास्ति अधिरोपित करने के अधिकार संभागायुक्तों को किंचित संशोधन उपरांत जारी किये गये हैं. म. प्र. राजपत्र (असाधारण) दिनांक 11-1-2002 की प्रति संलग्न है.

हस्ता./-
**( एम. के. वर्मा )**
अतिरिक्त सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग.

[ मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) क्रमांक 20, शुक्रवार, दिनांक 11 जनवरी 2002-पौष 21, शक 1923 में प्रकाशित ]

## सामान्य प्रशासन विभाग

### मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 जनवरी 2002

क्र. सी-6-5-97-3-एक.—मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 12 के उपनियम (2) के खण्ड (क) तथा (ख) के अनुसरण में तथा इस विभाग की अधिसूचना क्र. सी-6-5-97-3-एक, दिनांक 13 अगस्त 1997 को अतिष्ठित करते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, राज्य के समस्त संभागीय आयुक्तों को, उनके अपने-अपने संभागों में पदस्थ या पूर्व में पदस्थ रहे राज्य शासन के प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी अधिकारियों (न्यायिक सेवा तथा पुलिस विभाग के अधिकारियों को छोड़कर) पर, संबंधित संभाग में पदस्थापना की कालावधि के दौरान अधिकारी द्वारा की गयी अनियमितताओं के लिए अनुशासनिक कार्यवाई करने और उक्त नियमों के नियम 10 के खण्ड (एक) से (चार) में विनिर्दिष्ट शास्तियां अधिरोपित करने हेतु सशक्त करते हैं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. वर्मा, अतिरिक्त सचिव.

भोपाल, दिनांक 1 जनवरी 2002

क्र. सी-6-5-97-3-एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 1 जनवरी 2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. वर्मा, अतिरिक्त सचिव.

Bhopal, the 1st January 2002

No. C-6-5-97-3-Ek.—In pursuance of clause (a) and (b) of sub-rule (2) of Rule 12 of the Madhya Pradesh Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1966 and in supersession of this Department Notificaion No. C-6-5-97-3-Ek, dated the 13th August 1997, the Governor of Madhya Pradesh, hereby empowers all the Divisional Commissioners of the State to take disciplinary action and to impose the penalties specified in clauses (i) to (iv) of Rule 10 of the said rules on Class I and II officers (except the officers of the Judicial Services and the Police Department) of the State Government, posted or previously posted within their respective divisions for the irregularities committed by the officer during the period of posting at the concerned division.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
M. K. VERMA, Additional Secy.